GCMS

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थी:–
अमराराम

बनाम

अप्रार्थी:–
तहसीलदार जोधपुर

किस्म मुकदमा 136 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 67/2025 (66/2025)

जीसीएमएस सं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
23-5-25	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली जारी होकर, तहसीलदार जोधपुर से जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 9-6-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
9/6/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/[illegible] पत्रावली में आज कोई प्रभावी [illegible] के कारण इत्लाबा होकर [illegible] आदेशानुसार दिनांक 10/7/25 को पेश हो।	
10/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वास्ते इंतजार रिपोर्ट पत्रावली आगामी दिनांक 18/08/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी [illegible] उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्लाबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/8/25 को पेश हो।	
28/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्लाबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/9/25 को पेश हो।	
25/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्लाबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/10/25 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जरी उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु बहस करते हुए निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 66 / 2025
जीसीएमएस नंबरः 2025 / 142

प्रार्थीः–

1. अमरामराम पुत्र श्री दौलाराम उम्र 41 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम करवड़ तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.–राजस्व अधिनियम</u>

–::आदेश::– दिनांकः–07/10/2025

उपस्थितिः– 1. श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करवड़ पटवार क्षेत्र करवड़ भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर तह0 व जिला जोधपुर के खसरा सं. 157/1 रकबा 1.2707 हैक्ट. व खसरा सं. 225/1 रकबा .0971 की कृषि भूमि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के नाम से संयुक्त खातेदारी के नाम से चली आ रही है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2058–2061 जमाबंदी 2081 की खैवट खतौनी संख्या क्रमशः नई 435 व पुरानी 107 तथा नयी 328 व पुरानी 225 से स्पष्ट है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरांत जब प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उस समय उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अमराराम के स्थान पर हापूराम दर्ज कर लिया गया। इसलिए वर्तमान में उपरोक्त वर्णित भूमि के मुतालिक राजस्व रेकर्ड है उसमें प्रार्थी का नाम हापूराम दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही नाम अमराराम है। जो प्रार्थी के आधारकार्ड, जन आधार कार्ड व पहचान के अन्य दस्तावेजों में दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी का नाम हापूराम किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है केवल मात्र उक्त भूमि के मुतालिक राजस्व रेकर्ड यानि दोनों जमाबंदियों में ही दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हापुराम के स्थान पर अमराराम दर्ज किए जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक रीडर/2025/726 दिनांक 27.08.2025 को रिपोर्ट पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम करवड़ के खसरा सं. 157/1 व 225/1 सहखातेदार हापूराम पुत्र दौलाराम का सही नाम अमराराम है। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र इत्यादी दस्तावेजों में भी असली नाम अमराराम अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत करवड़ तथा उपस्थित गांव के मौतबिरानों ने हापूराम तथा अमराराम एक ही व्यक्ति होना बताया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र इत्यादी दस्तावेजों में भी असली नाम

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अमराराम अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत करवड़ तथा उपस्थित गांव के मौतबिरानों ने हापूराम तथा अमराराम एक ही व्यक्ति होना बताया इसके संबंध में मौका फर्द दिनांक 20.08. 2025 पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत करवड़ तथा उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम करवड़ पटवार क्षेत्र करवड़ भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर तह0 व जिला जोधपुर के खसरा सं. 157/1 रकबा 1.2707 हैक्ट. व खसरा सं. 225/1, रकबा .0971 की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम हापूराम के स्थान पर अमराराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 07/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner